

# न्यायालय नायब तहसीलदार भियाड, जिला बाइपैर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 142/2024 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल	बनाम	गैर सायल
राजस्थान राज्य जरिये पटवारी कानासर	जमा खां पुत्र निजाम खां, अनवर खां , नूर खां पुत्र जुसब खां जाति सिंधी निवासी कानासर।	
	"निर्णय"	दिनांक- 25.10.2024

पत्रावली आज बमुकाम भियाड में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कानासर ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर गिबेदन किया है कि गैरा ने मौजा कानासर के खसरा नं. 482/215 रकबा 18.00 बीघा में से 12.00 बीघा किस्म बादाम राजकीय भूमि पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण /कब्जा/काशत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विकट धारा 91 आर. एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सूचनाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तागिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित रहा।


अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 72/- पूर्णक में अक्षरों बहतर रूपसे मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत्त एवं हल्का पटवारी -को आदेशित किया जाता है कि वह मौजे पर अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमी से जुर्माना वारसे अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योंम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर फसल नीलामी की कार्यवाही करते हुए भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 25.10.2024 को सरेआम सुनाया गया।

  
नायब तहसीलदार भियाड

